



## जी.आई.एस. एजेंसियों का चयन

दिल्ली विकास प्राधिकरण पी.एम.—उदय (प्रधान मंत्री अनधिकृत कॉलोनी दिल्ली आवास अधिकार योजना) दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों की संपत्तियों के जी.आई.एस. सर्वेक्षण करने के लिए प्रतिष्ठित जी.आई.एस. एजेंसियों से आवेदन आमंत्रित करता है। जी.आई.एस. एजेंसी को:—

- क) जी.आई.एस. सेवाएं प्रदान करने का अनुभव हो और पिछले तीन वर्षों में भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार (या इसके स्वायत्त / सार्वजनिक उपक्रम / अधीनस्थ संगठन / स्थानीय निकाय आदि) के साथ प्रासंगिक परियोजनाओं का निष्पादन / संचालन किया हो।
- ख) वैध डी.जी.पी.एस. उपकरणों के स्वामित्व का प्रमाणपत्र हो।
- ग) कम से कम 25 तकनीकी रूप से कुशल सर्वेक्षक कार्यरत हों।
- घ) एजेंसी दिविप्रा या किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा बाधित / ब्लैकलिस्ट नहीं होनी चाहिए।

जीआईएस सर्वेक्षण की दरें सम्पत्ति के क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारित की गई हैं, जो निम्नानुसार हैं:

तल क्षेत्र (निर्मित सम्पत्ति की स्थिति में) / मुखण्ड क्षेत्र (रिक्त मुखण्ड की स्थिति में)	राशि (रु. में)
100 व.मी. से कम	800/- + जी.एस.टी.
100 व.मी. से अधिक (या समान) लेकिन 250 व.मी. से कम	1000/- + जी.एस.टी.
250 व.मी. से अधिक या बराबर	2500/- + जी.एस.टी.

डीडीए की वेबसाइट (<https://dda.org.in/tendernoticesdoes/sept2019/ScopeofWork30122019.pdf>) पर उपलब्ध कार्य के अनुसार और उपर्युक्त दरों पर काम करने के इच्छुक जी.आई.एस. एजेंसी डीडीए की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपना प्रस्ताव इस विज्ञापन के प्रकाशन के दो सप्ताह के अन्दर आयुक्त (भूमि प्रबंधन), दिल्ली विकास प्राधिकरण, प्रथम तल, ए-ब्लॉक, विकास सदन, आईएनए, नई दिल्ली -110023 को भेज सकते हैं।

कृपया Google play के **DDA ऐप्स** पर अपना फीडबैक दें।





## Empanelment of GIS Agencies

Delhi Development Authority invites the applications from reputed GIS agencies for carrying out GIS survey of properties in unauthorized colonies in Delhi under **PM-UDAY** (Pradhan Mantri-Unauthorised Colonies in Delhi Awas Adhikar Yojana). The GIS agencies shall have:-

- experience of providing GIS services and should have executed/operationalized relevant projects in last three years with Government of India or any State Governments (or its autonomous/ PSU/ Subordinate Organizations / Local Bodies etc.).
- valid DGPS Equipment Owner Certification.
- at least 25 technically sound surveyors on their roll.
- The Agency should not be barred/blacklisted by DDA or any other government agency.

The rates for GIS survey have been fixed on the basis of area of the property which are as follows:

Carpet Area (in case of built up)/ Plot Area (in case of vacant plot)	Amount (in Rs.)
Less than 100 sqm	800/- + GST
More than (or equal to) 100 sqm But less than 250 sqm	1000/- + GST
Greater than or equal to 250 sqm	2500/- + GST

The GIS agencies interested to work as per the Scope of Work available on DDA's website (<https://dda.org.in/tendernoticesdoes/sept2019/ScopeofWork30122019.pdf>) and on the above mentioned rates may submit their proposal in the prescribed format as available on DDA website within two weeks of publishing of this advertisement, to commissioner (LandManagement), Delhi Development Authority, First Floor, A-Block, Vikas Sadan, INA, New Delhi-110023.

Please give your feedback on DDA Apps at Google play

Please visit DDA's Website - [www.dda.org.in](http://www.dda.org.in) or Dial Toll Free No. 1800110332